प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और III में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त की जांच से उत्पन्न मामलों पर टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

3. अध्याय II और IV क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निष्पादन लेखापरीक्षा, वृहद अनुच्छेद तथा वित्तीय लेनदेनों के लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंध रखते हैं।

4. प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से है जो वर्षों 2008-10 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहां कहीं आवश्यक था, 2008-10 के बाद की अवधि से संबंधित मामलें भी शामिल किए गए हैं।